

22 सितंबर, 2026

कार्यकारी आदेश 2026-07

कार्यकारी आदेश
इलिनाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट गठन

जबकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (“एआई”) ने गहन प्रगति की है जिसके लिए निरंतर एआई विकास को जिम्मेदारीपूर्वक, सुरक्षित रूप से और मानवीय नियंत्रण के अधीन रहते हुए सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता है; और,

जबकि, हाल के हफ्तों में, मानव इतिहास की सबसे उन्नत तकनीक, एआई का निर्माण करने वाले लोग संभावित विनाशकारी प्रभावों की चेतावनी दे रहे हैं और हमें गति धीमी करने के लिए कह रहे हैं; और,

जबकि, अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा – संभावित रूप से अस्तित्वगत खतरा – प्रस्तुत करती है; और,

जबकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अन्य पारंपरिक मुद्दों से अलग है - यह सीमाओं को पार करती है, यह तेजी से आगे बढ़ती है, और यह ऐसे खतरे पैदा करती है जो किसी एक राज्य या देश तक सीमित नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं; और,

जबकि, मैंने और अन्य लोगों ने वाशिंगटन डीसी में संघीय निर्वाचित अधिकारियों से एआई द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए चेतावनियों पर ध्यान देने और तत्काल और कड़े कदम उठाने का आह्वान किया है; और,

जबकि, हालांकि मेरा अब भी मानना है कि संघीय कार्रवाई आवश्यक है, इलिनाय संघीय कार्रवाई की प्रतीक्षा करते हुए निष्क्रिय नहीं रह सकता; और,

जबकि, इलिनाय एआई सुरक्षा में अग्रणी है; इलिनाय महासभा ने एआई सुरक्षा उपाय अधिनियम - जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा और जवाबदेही का एक राष्ट्रव्यापी अग्रणी कानून है, पारित किया और मैंने इसे कानून के रूप में हस्ताक्षरित किया; और,

जबकि, अन्य सुरक्षा उपायों के अलावा, राज्य के कानून में एआई कंपनियों को जोखिम-शमन करने वाले ढांचे विकसित करने; वार्षिक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट से गुजरने; 72 घंटों के भीतर महत्वपूर्ण सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने; और सार्वजनिक रूप से अपने सिस्टम से उत्पन्न जोखिमों के साथ-साथ उन्हें कम करने के लिए उठाए जा रहे उपायों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है; और,

जबकि , इलिनॉय राज्य, राष्ट्र और दुनिया के लिए एआई से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए अतिरिक्त कदम उठा सकता है; और,

जबकि , एआई क्षेत्र के विशेषज्ञों और राज्य सरकार के प्रमुख नेताओं के ज्ञान को जुटाना महत्वपूर्ण है ताकि एआई की प्रगति को उचित रूप से विनियमित और निगरानी सुनिश्चित करने के तरीके खोजे जा सकें; और,

जबकि , एआई से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे के अतिरिक्त, यह अतिरिक्त गंभीर मूर्त खतरे भी पैदा करती है; और,

जबकि , एआई व्यक्तिगत गोपनीयता (विशेषकर बच्चों की गोपनीयता) के बारे में नए प्रश्न प्रस्तुत करता है क्योंकि यह डेटा के उपयोग पर स्पष्ट सीमाओं के बिना व्यापक डेटा एकत्र करता है; और,

जबकि, एआई एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और मानवीय सहानुभूति और निर्णय की हानि के बारे में नई चिंताएं भी प्रस्तुत करता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र, जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, भी शामिल हैं; और,

जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर्यावरण पर इसके विकास के प्रभाव और इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों की भारी खपत के बारे में गंभीर प्रश्न प्रस्तुत करती है; और,

जबकि , एआई से मिलने वाला पैसा हमारे चुनावों की निष्पक्षता को खतरे में डालता है, क्योंकि एआई उद्योग के लॉबिस्ट सार्थक विनियमन को कमजोर करने के लिए काम करते हैं और एआई दाता ऐसे उम्मीदवारों को चुनने की कोशिश करते हैं जो जनता के हित के बजाय उद्योग के हित में मतदान करेंगे;

अतः, मैं, जे.बी. प्रिट्ज़कर, इलिनॉय राज्य का राज्यपाल, इलिनॉय संविधान के अनुच्छेद V, की धारा 11 द्वारा मुझे प्रदत्त कार्यकारी अधिकार के तहत, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

1. इलिनॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट ("एआई कैबिनेट") की स्थापना राज्य सरकार को विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान करने और इलिनॉय के निवासियों की सुरक्षा और निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए एआई द्वारा उत्पन्न विभिन्न जोखिमों का आकलन करने के लिए की गई है।
2. एआई कैबिनेट के सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे:
 - a. अनुशांसा विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता प्रदान करना;
 - b. इलिनॉय के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने पर केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी घटनाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करना;
 - c. सार्वजनिक संपत्तियों (सार्वजनिक भवन, जल प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, सूचना भंडारण आदि) को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरों से बचाने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करना;
 - d. अनुशांसित प्रत्येक नीतिगत उपाय की व्यवहार्यता, समयसीमा और संभावित चुनौतियों का आकलन करना;

- e. उभरती हुई एआई घटनाओं का विश्लेषण करने और इलिनॉय के निवासियों, संगठनों और बुनियादी ढांचे के लिए भविष्य के खतरों को रोकने और उनसे निपटने की तैयारी में मदद करने के लिए सीखे गए सबक शेयर करने;
 - f. नवीनतम उपलब्ध जानकारी के आधार पर एआई से संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर इलिनॉय राज्य एजेंसियों और सरकारी निकायों को नीतिगत सिफारिशें करना; और
 - g. एआई को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए राज्य द्वारा उठाए जा सकने वाले विशिष्ट कदमों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने, जिनमें शामिल हैं:
 - i. कंपनियों द्वारा सुरक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता मानकों को पूरा करने पर डेटा सेंटर कर प्रोत्साहन, परमिट या परिचालन अनुमोदन को सशर्त बनाना;
 - ii. एआई डेटा केंद्रों द्वारा इलिनॉय ग्रिड और करदाताओं पर पड़ने वाले ऊर्जा बोझ को संबोधित करना;
 - iii. राज्य की खरीद और अनुबंध प्रक्रियाओं में एआई सुरक्षा और जवाबदेही आवश्यकताओं को कैसे शामिल किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन करना; और
 - iv. इस बात का आकलन करना कि क्या मौजूदा कानूनी उपाय एआई कंपनियों को एआई द्वारा उत्पन्न नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए पर्याप्त हैं।
3. एआई कैबिनेट में शैक्षणिक और विशेषज्ञ पार्टनर्स शामिल होंगे जो सुरक्षा प्रभावों, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, एआई प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग, कानूनी ढांचे और सुरक्षा और शासन के मानकों पर सलाह देंगे। राज्यपाल इस कार्यकारी आदेश के प्रभावी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर और राज्य एजेंसियों से सुझाव प्राप्त करने के बाद सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इसके अतिरिक्त, एआई कैबिनेट में इलिनॉय नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी), इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण - ऑफिस ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (आईईएमए-ओएचएस), इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल रेगुलेशन (आईडीएफपीआर), इलिनॉय वाणिज्य निगम (आईसीसी), इलिनॉय राज्य पुलिस (आईएसपी), इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (आईडीपीएच) और इलिनॉय पर्यावरण संरक्षण अभिकरण (आईईपीए) के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। एआई कैबिनेट के सदस्य राज्यपाल की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे।
4. कैबिनेट आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों और अन्य एजेंसियों के कर्मियों से परामर्श कर सकता है।
5. राज्यपाल, एआई कैबिनेट के सदस्यों में से एक अध्यक्ष को नामित करेंगे। वह सह-अध्यक्ष भी नियुक्त कर सकते हैं।
6. एआई कैबिनेट के सदस्य बिना किसी वेतन के स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।
7. इलिनोइस नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) एआई कैबिनेट को प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा।
8. एआई कैबिनेट का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2027 से पहले समाप्त हो जाएगा।

9. यह कार्यकारी आदेश किसी भी समझौते, अनुबंध, या सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध का उल्लंघन नहीं करता है, और न ही इसे उल्लंघन करने के रूप में समझा जाएगा।
10. यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को निरस्त कर देता है।
11. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता इस कार्यकारी आदेश के किसी अन्य प्रावधान या उपयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या उपयोग के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।
12. यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

जे.बी. प्रिट्ज़कर
राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा जारी: 22 सितंबर, 2026

राज्य सचिव के समक्ष दायर किया गया: 22 सितंबर, 2026